



प्रेस विज्ञप्ति

09.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने सनी बंसल एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6/07/2024 को सनी बंसल से संबंधित 29.25 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने तत्कालीन देना बैंक, जोनल कार्यालय, नॉर्थ जोन, पंचकुला (हरियाणा) की लिखित शिकायत के आधार पर मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन के मालिक सनी बंसल और अज्ञात अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच में पता चला कि सनी बंसल ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) से ऋण लिया और बैंक को धोखा दिया। सनी बंसल ने स्टॉक और बुक ऋण के बदले 4.50 करोड़ रुपये का आवधिक कर्ज और 10.00 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट हाइपोथेकेशन (सीसीएच) प्राप्त किया था। हालाँकि, ऋण राशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और इसके बजाय ऋण को बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के सनी बंसल के करीबी सहयोगियों की विभिन्न संस्थाओं/कंपनियों/स्वामित्व (मौजूदा और गैर-मौजूदा) में स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक को गुमराह करने के इरादे से यह राशि इन संस्थाओं के बीच आगे प्रसारित की गई।

आगे की जांच जारी है।
